

निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 61/2024

वादपत्र धारा 53 आर.टी.एक्ट. 1955

केसर पुत्र छगन मीणा नि. खेरमालिया तह. बड़ीसादड़ी

-वादी

-: बनाम :-

- 1- देवीलाल पुत्र पेमा मीणा नि. खेरमालिया तह. बड़ीसादड़ी
- 2- केशुराम पुत्र छाणीबाई रावत नि. लुहारिया तह. बड़ीसादड़ी
- 3- केशर पुत्र भोलीराम रावत नि. लुहारिया तह. बड़ीसादड़ी
- 4- कालीबाई पुत्री सीताबाई रावत नि. लुहारिया तह. बड़ीसादड़ी
- 5- जसराज पुत्र सीताबाई रावत नि. लुहारिया तह. बड़ीसादड़ी
- 6- नवलबाई पत्नी बाबरू रावत नि. लुहारिया तह. बड़ीसादड़ी
- 7- नवलीबाई पत्नी प्रथा रावत नि. लुहारिया तह. बड़ीसादड़ी
- 8- नानुराम पुत्र भूरा रावत नि. लुहारिया तह. बड़ीसादड़ी
- 9- प्यारीबाई पत्नी बाबु मीणा नि. खेरमालिया तह. बड़ीसादड़ी
- 10- भैरू पुत्र सीताबाई रावत नि. लुहारिया तह. बड़ीसादड़ी
- 11- राधीबाई पुत्री सीताबाई रावत नि. लुहारिया तह. बड़ीसादड़ी
- 12- लक्ष्मीबाई पुत्री भोलीराम रावत नि. लुहारिया तह. बड़ीसादड़ी
- 13- शंकर पुत्र प्यारा रावत नि. लुहारिया तह. बड़ीसादड़ी
- 14- शम्भू पुत्र छाणीबाई रावत नि. लुहारिया तह. बड़ीसादड़ी
- 15- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

- प्रतिवादीगण

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार बड़ीसादड़ी के द्वारा फर्द बटवाड़ा प्राप्त हो चुका है। माफिक फर्द बटवाड़ा वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि - मौजा सिरोड पटवार हल्का खेरमालिया की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

1- केसर पुत्र छगन मीणा सा. खेरमालिया खातेदार

आ. नं.	रकबा
538/250/2	0.37
248/2	0.39
1	0.76

2- देवीलाल पुत्र पेमा मीणा सा. खेरमालिया खातेदार (प्र.सं. 60/2024 द्वारा)

आ. नं.	रकबा
538/250/1	0.61
248/1	0.15
2	0.76

3- केशुराम माता छाणीबाई 27/688 रावत सा. लुहारिया केसर पुत्र भोलीराम रावत 9/430 सा. लुहारिया कालीबाई पुत्री माता सीताबाई 27/1376 रावत सा. लुहारिया जसराज पुत्र माता सीताबाई 27/1376 रावत सा. लुहारिया नवलबाई पत्नी बाबरू 27/1720 रावत सा. लुहारिया नवलीबाई पत्नी प्रथा 3/86 रावत सा. लुहारिया नानूराम पुत्र भूरा 3/86 रावत सा. लुहारिया प्यारीबाई पत्नी बानू 137/215 मीणा सा. खेरमालिया भैरू पुत्र माता सीताबाई 27/1376 रावत सा. लुहारिया राधीबाई पुत्री माता सीताबाई 27/1376 रावत सा. लुहारिया लक्ष्मीबाई पुत्री भोलीराम 9/430 रावत सा. लुहारिया शंकर पुत्र प्यारा 27/344 रावत सा. लुहारिया शम्भू पुत्र माता छाणीबाई 27/688 रावत सा. लुहारिया खातेदार

आ. नं.	रकबा
538 मी./250	0.56
248 मी.	1.16
2	1.72

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री बनायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2024 को सरे ईजलास में सुनाया गया।



प्रवीण कुमार मीणा (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6, 7 जा.दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी
प्रकरण सं. 61/2024 वादपत्र धारा 53 आर.टी.एक्ट. 1955
केसर पुत्र छगन मीणा नि. खेरमालिया तह. बड़ीसादड़ी

-वादी

-: बनाम :-

- 1- देवीलाल पुत्र पेमा मीणा नि. खेरमालिया तह. बड़ीसादड़ी
- 2- केशुराम पुत्र छाणीबाई रावत नि. लुहारिया तह. बड़ीसादड़ी
- 3- केशर पुत्र भोलीराम रावत नि. लुहारिया तह. बड़ीसादड़ी
- 4- कालीबाई पुत्री सीताबाई रावत नि. लुहारिया तह. बड़ीसादड़ी
- 5- जसराज पुत्र सीताबाई रावत नि. लुहारिया तह. बड़ीसादड़ी
- 6- नवलबाई पत्नी बाबरू रावत नि. लुहारिया तह. बड़ीसादड़ी
- 7- नवलीबाई पत्नी प्रथा रावत नि. लुहारिया तह. बड़ीसादड़ी
- 8- नानुराम पुत्र भूरा रावत नि. लुहारिया तह. बड़ीसादड़ी
- 9- प्यारीबाई पत्नी बाबु मीणा नि. खेरमालिया तह. बड़ीसादड़ी
- 10- भैरू पुत्र सीताबाई रावत नि. लुहारिया तह. बड़ीसादड़ी
- 11- राधीबाई पुत्री सीताबाई रावत नि. लुहारिया तह. बड़ीसादड़ी
- 12- लक्ष्मीबाई पुत्री भोलीराम रावत नि. लुहारिया तह. बड़ीसादड़ी
- 13- शंकर पुत्र प्यारा रावत नि. लुहारिया तह. बड़ीसादड़ी
- 14- शम्भू पुत्र छाणीबाई रावत नि. लुहारिया तह. बड़ीसादड़ी
- 15- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

- प्रतिवादीगण

यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि -

मौजा सिरोड पटवार हल्का खेरमालिया की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

1- केसर पुत्र छगन मीणा सा. खेरमालिया खातेदार

आ. नं.	रकबा
538/250/2	0.37
<u>248/2</u>	<u>0.39</u>
2	0.76

2- देवीलाल पुत्र पेमा मीणा सा. खेरमालिया खातेदार (प्र.सं. 60/2024 द्वारा)

आ. नं.	रकबा
538/250/1	0.61
<u>248/1</u>	<u>0.15</u>
2	0.76

3- केशुराम माता छाणीबाई 27/688 रावत सा. लुहारिया केसर पुत्र भोलीराम रावत 9/430 सा. लुहारिया कालीबाई पुत्री माता सीताबाई 27/1376 रावत सा. लुहारिया जसराज पुत्र माता सीताबाई 27/1376 रावत सा. लुहारिया नवलबाई पत्नी बाबरू 27/1720 रावत सा. लुहारिया नवलीबाई पत्नी प्रथा 3/86 रावत सा. लुहारिया नानूराम पुत्र भूरा 3/86 रावत सा. लुहारिया प्यारीबाई पत्नी बानू 137/215 मीणा सा. खेरमालिया भैरू पुत्र माता सीताबाई 27/1376 रावत सा. लुहारिया राधीबाई पुत्री माता सीताबाई 27/1376 रावत सा. लुहारिया लक्ष्मीबाई पुत्री भोलीराम 9/430 रावत सा. लुहारिया शंकर पुत्र प्यारा 27/344 रावत सा. लुहारिया शम्भू पुत्र माता छाणीबाई 27/688 रावत सा. लुहारिया खातेदार

आ. नं.	रकबा
538 मी./250	0.56
<u>248 मी.</u>	<u>1.16</u>
2	1.72

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

P.T.O.

इस वाद के खर्चे..... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दरा से ब्याज सहीत... को दी जावे। यह आज दिनांक 12.11.2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।



प्रवीण कुमार मीणा (आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

न्यायालय सहायक कलेक्टर, बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक : राजस्व/2024/230

दिनांक : 12/11/2024

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।



सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी